के प्रावधानानुसार उक्त वर्णित भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में उक्त भूमि खसरा नम्बर 23 में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। तहसीलदार उदपुरवाटी ने मौका जॉच रिर्पोट में अकिंत किया है कि मौका पर आवागमन हेतु रास्ता चालु है, जिससे प्रार्थी आवागमन कर सकता है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी तेजपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.9.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:54:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner